संख्या:17/2019/बी-2-577/दस-2019-10/77टी.सी.

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 03 अक्टूबर, 2019

विषय : बुन्देलखण्ड, विन्ध्यक्षेत्र तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों मे ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य के परीक्षण हेतु 'व्यय वित्त समिति' में सिंचाई विभाग तथा उ.प्र. जल निगम के मुख्य अभियन्ता को सम्मिलित किया जाना ।

महोदय,

योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के अनुसार 'व्यय वित्त समिति' के निम्नलिखित सदस्य हैं -

(1) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव / सचिव, प्रशासकीय विभाग	सदस्य
(5) लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो मुख्य अभियन्ता के स्तर से कम न हों ।	सदस्य
(6) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य-संयोजक
(7) निर्माण एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता	विशेष आमंत्री

2- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली "बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना" के आगणनों तथा व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण के लिये 'व्यय वित्त समिति' में कोई विशेषज्ञ नहीं है ।

3- उल्लेखनीय है कि पेयजल योजनायें, जल स्रोत की उपलब्धता पर आधारित होती हैं, जिसके सम्बन्ध में सिंचाई विभाग में विशेषज्ञता है तथा पेयजल योजनाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षण की विशेषज्ञता, नगर विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन, उत्तर प्रदेश जल निगम के पास है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

4- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ के रूप में निम्नलिखित को 'व्यय वित्त समिति' में सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता ।

5- व्यय वित्त समिति की कार्य-प्रक्रिया, कर्तव्य तथा कार्यक्षेत्र आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्यां बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 की शेष व्यवस्थायें / शर्तें तथा प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संखया : 17/2019/बी-2-577(1)/दस-2019-10/77टी.सी., तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
8 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ. प्र., लखनऊ ।
9 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
11 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ. प्र., लखनऊ ।
12 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्तायक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।